

अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या एफ.5 (6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 एवं एस.ओ. 77 दिनांक 24.5.2008 के द्वारा जारी निर्देश एवं मान (वैल्यू) के क्रम में न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों के अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम-11 सन् 1948) की धारा 2 खण्ड (ग) एवं (घ) सपठित धारा 4 की उपधारा (2) की अनुपालना में जारी अधिसूचनाएं क्रमांक एफ.1 (8) वीडिए/न्यू.म./श्रम/2000/12526 दिनांक 26.9.2000 एवं क्रमांक एफ.8 (1) वीडिए/न्यू.म./श्रम/2000/Rajkaj 10433465 दिनांक 19.09.2024 के अनुसरण में किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में नियोजित कामगारों हेतु दिनांक 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितम्बर, 2025 तक के लिए निम्नानुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय होगा:-

क्र. सं.	अनुसूचित नियोजन का नाम	कर्मचारियों के वर्ग	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें (रु०. में)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल मजदूरी
1	2	3	4	5	6
1.	किसी तम्बाकू (जिसके अन्तर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन	1. सभी प्रकार की बीड़ी रोलिंग का कार्य	रु० 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रु० 86.09 प्रति एक हजार बीड़ी	रु० 158.77 प्रति एक हजार बीड़ी
		2. बंडल रेपिंग एवं पैकिंग	रु० 72.68 प्रति एक हजार बीड़ी	रु० 86.09 प्रति एक हजार बीड़ी	रु० 158.77 प्रति एक हजार बीड़ी
		3. बीड़ी सोटर्स एवं चैकर्स (पूरे समय का श्रमिक एवं क्लर्कर्स)	रु० 2648.76 प्रति माह	रु० 5975 प्रति माह	रु० 8623.76 प्रतिमाह
		4. सनफ पैकिंग	रु० 2254.89 प्रतिमाह	रु० 5975 प्रतिमाह	रु० 8229.89 प्रतिमाह
		5. अन्य श्रमिक-तम्बाकू मिक्स, तम्बाकू सोटर्स भट्टे वाला तथा पल्लेदार	रु० 2106 प्रतिमाह	रु० 5957 प्रतिमाह	रु० 8081 प्रतिमाह

		6. चौकीदार, वाचमैन	रु0 2167.90 प्रतिमाह	रु0 5975प्रतिमाह	रु0 8142.90प्रति माह
--	--	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

स्पष्टीकरण

- उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशित पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.5(6) श्रम/86 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के अनुक्रम में पढ़ा अथवा समझा जावे।
- स्तम्भ संख्या 3 क्रम संख्या 1 एवं 2 के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (18 अंक) के आधार पर डेढ़ पैसा प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी (रोलिंग/बंडल रैपिंग एवं पैकिंग) के मान से की गई है। (अधिसूचना 24.5.2008 के अनुसार)
- स्तम्भ 3 के क्रम में संख्या 3 से 6 वर्ग के कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना माह जुलाई, 2023 से जून, 2024 तक बढ़े हुए औसत सूचकांक (18 अंक) के आधार पर एक रुपया प्रति बिन्दु प्रति माह के मान से की गई है। गणना रुपये के निकटतम मूल्य के अनुसार की गई है।
- दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय न्यूनतम मजदूरी की दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिए नियत कुल मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की जावेगी।
- दैनिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना मासिक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 26 का भाग देकर की जावेगी।
- मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
- ये वी.डी.ए. दरें 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

करणसिंह,

श्रम आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी,

अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।